

मानव संसाधन निविदा क्रमांक 8333/Manpower/2020 सिस्टम क्रमांक - 2020\_STDC\_121453\_2 दिनांक 23/12/2020

प्री-बिड दिनांक 18/01/2021

निविदाकर्ता संस्था का नाम	निविदा के प्रपत्र में दर्शित बिंदु	प्रीबिड Query (प्रश्न)	प्रबंधन का उत्तर
मेसर्स लायन इंजीनियरिंग प्रा0 लि0 भोपाल	सामान्य : एम.पी. स्टेट टूरिज्म डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा प्रवेश के बाहर संचालित कार्यालयों, इकाईयों, मार्केटिंग कार्यालयों में कार्य हेतु समय-समय पर मानव संसाधन की होन वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली आउटसोर्स एजेन्सी से निविदा प्रपत्र की शर्तों के अंतर्गत ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है निगम को मानव संसाधन के रूप में अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी अनुमानित संख्या 1500 से ज्यादा है।	अनुमानित संख्या 1500 दर्शाई गई है। निवेदन है कि न्यूनतम संख्याभी बताई जाती तो निविदाकर्ता को वित्तीय योजना करने में सहूलियत होगी।	निगम द्वारा संचालित की जा रही इकाईयों में समय-समय पर आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन की पूर्ति की मांग की जाती है। वर्तमान में 1500 मानव संसाधन श्रमिकों की आवश्यकता है।
	2.2 एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कम से कम प्रतिमाह औसत 250 कर्मचारियों का भविष्यनिधि राशि जमा की गई हो। (एजेन्सी द्वारा मासिक भविष्यनिधि चालन एवं अन्य प्रमाण-प्रस्तुत करें।)	अधिकतम एवं प्रतिस्पृधात्मक निविदाओं के लिए 250 कर्मचारियों की भविष्यनिधि की बाध्यता को सरल/कम किए जाने के लिए निवेदन है क्योंकि ई.पी.एफ. एक्ट के अनुसार भी नियोक्ता की बाध्यता 15000 तक वेतन पाने वाले तक ही सीमित है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस मात्रा को 250 से घटाकर 150 किया जावे।	स्वीकार करने योग्य नहीं है।
	2.3 एजेन्सी का गत 03 वर्षों (2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020) में से किसी एक संस्था से मानव संसाधन को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक का वार्षिक एकल अनुबंध रूपये 10.00 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए।	वार्षिक एकल अनुबंध से प्राप्त भुगतान की राशि (10 करोड़) की मात्रा बेहतर ज्यादा है अधिकतम एवं प्रतिस्पृधात्मक निविदाओं के लिए इसे घटाकर 05 करोड़ करना उचित होगा क्योंकि धारा 2.4 में कुल सालाना टर्न ओवर औसतन 20 करोड़ चाही गई है इसको देखते हुए 10 करोड़ एक अनुबंध की राशि उचित प्रतीत नहीं होती है।	स्वीकार करने योग्य नहीं है।
XEAM Ventures pvt. Ltd. Chandigarh		Please provide the Breakup of MANPOWER Category wise and Location Wise. Is the Project existing or new manpower is to be deployed at various locations...	वांछित जानकारी संलग्न है
	Page 6, Clause 6.4, Point 2 Agency Should have deposited the EPF of average 250 manpower per month in FY 2019-20	Attaching the challans of one year will make the bid to exceed the size limit set by E-proc . Would Suggest the authorities to consider the challans of last 6 month duration i.e. from June-20 to Dec-20	तकनीकी दस्तावेजों की 01 प्रति ऑनलाईन जमा कर 01 प्रति ऑफलाइन भी मुख्यालय में जमा की जावे।
	Page 17 Clause 17 Corporation will provide ID card and the expenses incurred over it will be reimbursed from agency	Please change this clause as: Agency will provide ID cards to the Human resources and Corporation will reimburse the charges to the agency	स्वीकार करने योग्य नहीं है।
	Page 17 Clause 18 Corporation will provide Uniform to manpower and the expenses	Please change this clause as: Agency will provide uniform as prescribed by Corporation to the Human	स्वीकार करने योग्य नहीं है।

	incurred over it will be reimbursed from agency	resources and Corporation will reimburse the charges to the agency	
मेसर्स थर्ड आई सिक्यूरिटी सर्विसेस इन्दौर	बिंदु क्र. 2.6 के अनुसार "निविदाकर्ता को GST/PF/ESI का पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है एवं उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राशि जमा एवं समय पर रिटर्न फाईल करने के संबंध में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें"।	GST/EPF/ESI अधिनियम के अंतर्गत राशि जमा कर रिटर्न फाईल करने के सम्बन्ध में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण 'समय पर' रिटर्न फाईल करने में परेशानियां आती हैं इसलिए "समय पर" शब्द को विलोपित किया जाए।	निविदाकर्ता द्वारा GST/EPF/ESI अधिनियम के अंतर्गत किये जा रहे कम्प्लाइन्सेस का प्रमाण पत्र CA द्वारा प्रस्तुत किया जावे।
	बिंदु क्र. 17 के अनुसार "सभी मानव संसाधन (कर्मचारियों) को परिचय-पत्र (आई कार्ड) निगम के माध्यम से प्रदान किया जावेगा तथा जिन पर होने वाले व्यय को निविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा निगम को वापस करना होगा"। बिंदु क्र. 18 के अनुसार "निगम के माध्यम से सभी मानव संसाधन (कर्मचारियों) को वर्दी प्रदाय की जावेगी। जिसका कपड़ा, रंग, सिलाई, जूता, मोजा आदि के संबंध में अनुमोदन निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा। तथा इस पर होने वाला व्यय एजेंसी द्वारा निगम को वापस (Refund) करना होगा"। बिंदु क्र. 19 के अनुसार "मानव संसाधन की समस्याओं के निराकरण एवं उन पर नियंत्रण रखने हेतु सम्बंधित निविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा एक एक सुपरवाइजर निगम मुख्यालय भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर / पचमढी एवं खाजुरहों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा"। बिंदु क्र.25 के अनुसार "सफल निविदाकर्ता को कार्यादेश प्राप्त होने के एक माह के अन्दर अन्दर प्रपत्र-5 प्राप्त कर सम्बंधित जिलों के श्रम कार्यालय में पंजीयन करवाकर (मानव संसाधन उपलब्ध कराने का व्यवसाय करने का) प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा"।	यह कि, उक्त सभी कार्य हेतु निविदा में न्यूनतम 8 प्रतिशत सर्विस चार्ज होना आवश्यक है, एजेंसी के द्वारा नियुक्त मानव संसाधन के प्रशासकीय कार्य, परिचालन कार्य (operational work) आदि को संचालित करने हेतु सर्विस चार्ज अतिआवश्यक है।	स्वीकार करने योग्य नहीं है।
मेसर्स थर्ड आई सिक्यूरिटी सर्विसेस इन्दौर	मानव संसाधन के रूप में चौकीदार/सुरक्षाकर्मी भी शामिल रहते हैं।	चौकीदार/सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने हेतु राज्य का पसारा लाइसेंस होना आवश्यक है।	निविदाकर्ता द्वारा मानव संसाधन चौकीदार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने के संबंधी लायसेंस की जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
RAKASHAK Securitas Pvt. Ltd. New Delhi	<b>Page 6, Clause 6</b>	As per para 6 of Technical Evaluation Scoring sheet of the tender document it is mentioned that agencies who have three contracts in Central/State Govts/PSUs/Departments in last three years in the State of Madhya Pradesh will get 5 points and those have more than three contracts will get 10 points. This condition will restrain many efficient and professional companies out of tender process. who have pan india presence and are providing credible services to their	स्वीकार करने योग्य नहीं है।

		esteemed and dignified clients. Resultantly. your esteemed board may be deprived of more credible, capable and professional services.	
	<b>Page 6, Clause 6.3</b>	Similarly, para 6.3 of tender document also states that in the event of more than one agency score highest marks, the successful bidder will be chosen on the basis of average number of employees provided in Central/State/PSUs /Departments in the state of madhya pradesh in FYs 2017-18, 2018-19 & 2019-20. With this clause, your esteemed institution may again endup engaging an agency with lesser capabilities and professionalism and may get compromised services.	स्वीकार करने योग्य नहीं है।
		in vies of the above it is humbly requested that para 6 of technical evaluation scoring sheet and para 6.3 of tender document may be amended by replacing <b>in Madhya Pradesh</b> with <b>anywhere in india</b> in order to give us a fair chance of participation in the tender process.	स्वीकार करने योग्य नहीं है।